कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

E-mail ID- balodabazar.cg@gov.in Telephone : 07727- 223444

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 883 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू. / 2021 बलौदाबाजार, दिनांक 01.04.2021

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक / 40–3 / 2020–DM-I(A), दिनांक 01.05.2020 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय एवं छत्तीसगढ शासन, द्वारा समय–समय पर जारी, आदेशों एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार के प्रतिवेदन दिनांक 01.04.2021 अनुसार जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम सकरी स्थित श्री भूपेन्द्र साहू पिता रामकिशन साहू के मकान में 05 सदस्य कोरोना पॉजिटीव पाये गये हैं। फलस्वरूप, निम्नानुसार क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए, प्रभारी अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

कन्टेनमेंट जोन	प्रभारी अधिकारी	**सहायक प्रभारी अधिकारी**	पर्यवेक्षण अधिकारी
ग्राम सकरी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार के निम्नानुसार चतुरसीमा– 1. उत्तर– रामजी का घर 2. दक्षिण– रामगोपाल का घर 3. पूर्व– राष्ट्रीय राजमार्ग 4. पश्चिम– ईश्वर साहू का घर **(नक्शा आदेश के साथ संलग्न)**	श्री अनिल कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदाबाजार मो.नं. 70000–21422	श्री गोपी वर्मा, उप अभियंता, जनपद पंचायत बलौदाबाजार मो.नं. 96916–12351	श्री महेश राजपूत अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमाण्डर बलौदाबाजार मो.नं. 99932–35347

(A) कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी–

1. अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर, कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी, बिना सक्षम अनुमति, अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉक–डाउन रहेगा।
2. उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत, सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, अगले आदेश तक, पूर्णतः बंद रहेंगे।
3. कंटेनमेंट जोन अंतर्गत, सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि, किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, उसके लिए पृथक से, इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
4. प्रभारी अधिकारी द्वारा, कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
5. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा, संबंधित क्षेत्र में, शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।
6. कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु, लगातार पुलिस पैट्रोलिंग की जावेगी।

(B) कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा जाता है–

गतिविधियां	प्रभारी अधिकारी का पदनाम
केवल 01 प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार–भाटापारा
कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा
उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमाण्डर,
कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप का शत् प्रतिशत कवरेज	डिस्ट्रीक्ट ई गर्वनेंस, चिप्स, बलौदाबाजार–भाटापारा
कंटेनमेंट जोन में कार्य कर रहे सभी अधिकारी / कर्मचारियों हेतु लघु विश्राम व्यवस्था	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी गाइडलाईन अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉक–डाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु	संबंधित थाना प्रभारी

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

1/4/21

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Additional District Magistrate
Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

मंजूर क

.02

पृ. क्रमांक /684/अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू. / 2021 बलौदाबाजार, दिनांक 01.04.2021

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संबंधित..की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी..की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व तहसीलदार ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. उप संचालक, जनसंपर्क बलौदाबाजार–भाटापारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत..............................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार–भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

1/4/21

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Additional District Magistrate
Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

ग्राम- सलरी
पटनं. - 19
रानिमं. - ब० बाजार
तहसील- ब० बाजार

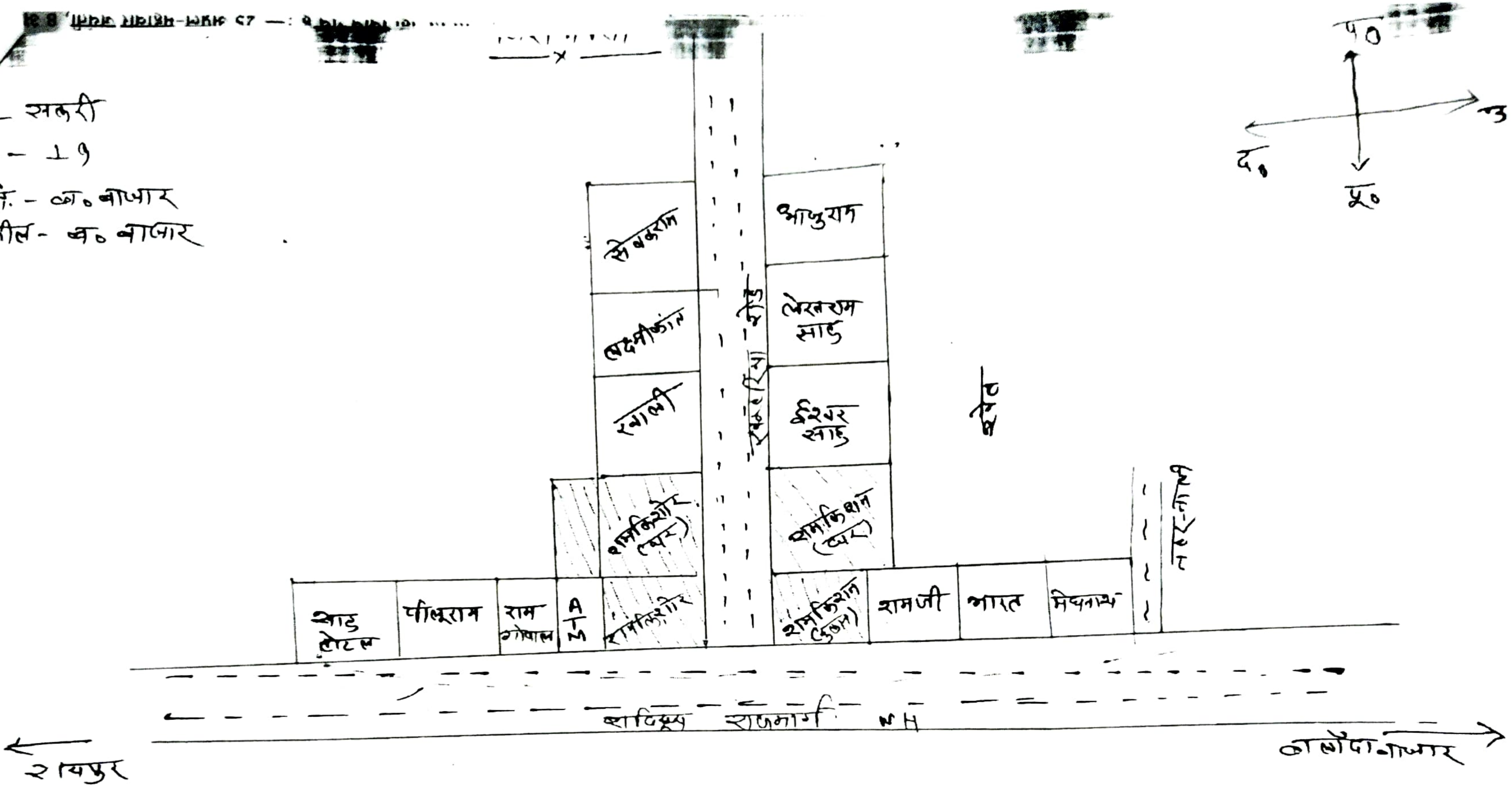

टीप:- लाल स्याही से चिन्हांकित निशान कुन्टेनमेन्ट घर व दुकान

उत्तर :- रामजी   दक्षिण रामगोपाल

पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क)   पश्चिम ईश्वर साहू